

एजीपी योजना के अंतर्गत स्क्रीनिंग समिति के सदस्य

क्र.सं.	अधिकारी	भूमिका
(i)	संयुक्त सचिव/उप महानिदेशक (जागरूकता सृजन और प्रचार)	अध्यक्ष
(ii)	आई एफ डी के प्रतिनिधि	सदस्य
(iii)	डी ए वी पी के प्रतिनिधि	सदस्य
(iv)	दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहे दिव्यांगजनों/प्रतिनिधि समूहों/संगठनों में से विशेष आमंत्रित	सदस्य
(v)	निदेशक/उप सचिव (जागरूकता सृजन और प्रचार)	सदस्य